पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रिजवान अहमद

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6625

03 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत किसी सरकारी सेवक पर उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् "दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने" का दंड लगा सकता है, और क्या कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) में परिवर्तित करने के पश्चात पारित किया गया आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है? (कंडिका 5, 9, 13, 17, 19)

हेडनोट्स

उच्च न्यायालय ने माना कि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद स्वामी-सेवक का संबंध समाप्त हो जाता है। परिणामस्वरूप, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (बिहार नगर सेवक संरक्षण नियमावली), जो केवल कार्यरत सरकारी सेवकों पर लागू होती है, लागू नहीं होती। बिहार नगर सेवक संरक्षण नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत निर्धारित दंड, जैसे वेतन वृद्धि रोकना, सेवानिवृत्त कर्मचारी पर नहीं लगाया जा सकता। (कंडिका 14, 16, 17)

न्यायालय ने निर्णय दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उपलब्ध एकमात्र प्रावधान बिहार पेंशन नियमावली, 1950 का नियम 43(ख) है, जिसमें पेंशन या ग्रेच्युटी रोकने की सीमित गुंजाइश है। इस नियम के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन आवश्यक है, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया। नियम 43(ख) की आड़ में पारित आदेश, जो नगर प्रतिरक्षण अधिनियम (सीसीए) नियमों के अंतर्गत दंड लगाता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर और अस्थिर है। (कंडिका 9, 18, 19)

यह पुष्टि की गई कि जाँच प्रतिवेदन में विवेक का प्रयोग, साक्ष्यों पर विचार और बचाव पक्ष का विश्लेषण प्रदर्शित होना चाहिए। एक पंक्ति की, निरर्थक और विकृत जाँच प्रतिवेदन, जैसा कि वर्तमान मामले में है, किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बन सकती। (कंडिका 3)

न्याय दृष्टान्त

शंभू सरन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **2000 (1) पीएलजेआर 665 (एफबी)**: -(कंडिका 10, 18); रिजवान अहमद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**, 2017 (3) पीएलजेआर 76:-** (कंडिका 10)

अधिनियमों की सूची

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 - नियम 2, 14.; बिहार पेंशन नियमावली, 1950 - नियम 43(ख)

मुख्य शब्दों की सूची

सेवानिवृत्ति के बाद का दंड; वेतन वृद्धि रोकना; अधिकार क्षेत्र; बिहार सीसीए नियम 2005; बिहार पेंशन नियम 1950; विकृत जांच प्रतिवेदन; आदेश को रद्द करना

प्रकरण से उत्पन्न

संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा पारित दिनांक 08.04.2016 (अनुलग्नक-6) के दंड आदेश को चुनौती, जिसमें गैर-संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाया गया था; और याचिकाकर्ता को जीवन निर्वाह भत्ते को छोड़कर सभी देय राशि से वंचित कर दिया गया था।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री अमरेश कुमार सिंघा, अधिवक्ता; श्री मोहम्मद सुफियान, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री आकाश चतुर्वेदी, एसी टू एससी-11

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.6625

==========

रिजवान अहमद, पिता- स्वर्गीय मोहम्मद शोएब, निवासी- गाँव- बनोरी, थाना- सिमरी, जिला-दरभंगा।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. आयुक्त सह प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (प्रशा०), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अमरेश कुमार सिंघा, अधिवक्ता
श्री मोहम्मद सुफ़यान, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री आकाश चतुर्वेदी, एसी से एससी 11

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

दिनांक : 03-08-2023

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांकित 30.04.2010 के एक आरोप-ज्ञापन के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई थी। आरोप उस अवधि से संबंधित है जब वह बेगूसराय अंचल कार्यालय में 'लिपिक' के पद पर तैनात था। आरोपों का सार यह था कि उसने कार्यालय के खर्चों के लिए कथित रूप से निकाली

गई रु. 53,318/- की राशि का गबन किया था। इसके अलावा, रु. 3,574/- की एक और राशि का भी गबन करने का आरोप है, जिसे कथित तौर पर उसने एक चालक 'नरेश पासवान' के जाली हस्ताक्षर करके निकाला था। तीसरा आरोप अवज्ञा के संबंध में है कि उसने उच्च अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए शिकायतें दर्ज करवाईं। आरोप-ज्ञापन जारी होने के बाद, जांच की गई और 27.09.2010 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई। जांच अधिकारी का निष्कर्ष इस प्रकार है:-"

"अनुलग्नक क्रमांक 2 के विस्तृत विवेचन से

आरोप प्रत्यक्षरूप से सही प्रतीत होता है।"

3. जांच अधिकारी की एक पंक्ति का निष्कर्ष, कम से कम कहने के लिए, टिकाऊ नहीं है। यह जाँच के दौरान किसी भी सामग्री या गवाह के विचार को नहीं दर्शाता है। यह याचिकाकर्ता के बचाव पर भी विचार नहीं करता है। निष्कर्ष निश्चित नहीं हैं, किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं हैं, और दिमाग के पूर्ण गैर-अनुप्रयोग को दर्शाते हैं।

4. जांच प्रतिवेदन के आधार पर, याचिकाकर्ता को कथित तौर पर गबन की गई राशि (रु. 53,318 + रु. 3,574 = रु. 56,892) जमा करने का निर्देश दिया गया था। यह राशि, जैसा कि स्वीकार किया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा जमा कर दी गई थी, जो वाणिज्यिक कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय से वाणिज्यिक कर अतिरिक्त आयुक्त, बिहार को संबोधित दिनांकित 18.05.2012 (अनुलग्नक 3) के संचार से स्पष्ट है।

5. याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी के विकृत और आधारहीन निष्कर्ष के परिणाम भुगतने के बाद, इस मुद्दे को शांत किया जा सकता था। इसके बावजूद, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी के गंभीर परिणाम से दंडित करने के अपने अथक प्रयासों को जारी रखा। इस प्रकार, 30.07.2013 को बर्खास्तगी की प्रस्तावित सजा के लिए एक कारण बताओ

(अनुलग्नक 4) जारी किया गया था, जिसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस बीच, हालांकि, याचिकाकर्ता ने अपने पुनर्विचारण बकाया के भुगतान के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि वह इस धारणा में था कि कथित रूप से गबन की गई राशि जमा करने के बाद अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के बाद, उसे अपने पुनर्विचारण बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए।

6. जब रिट कार्यवाही लंबित थी, अधिकारियों द्वारा दिनांकित 08.04.2016 का एक आदेश (अनुलग्नक 6) पारित किया गया और उसे रिट कार्यवाही के अभिलेखों में रखा गया। चूंकि अन्य पुनर्विचारण बकाया का भुगतान कर दिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को दिनांकित 08.04.2016 के दंड के आदेश (अनुलग्नक 6) के संबंध में अपना उपाय आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए रिट याचिका का निपटारा किया गया, जिसे वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दी गई है। इससे पहले बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (ख) के तहत कार्यवाही को परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था। कार्यवाही को परिवर्तित करने का निर्णय दिनांकित 12.02.2015 (अनुलग्नक 5) का है। इसके बाद, बिना किसी और कदम के, सीधे दिनांकित 18.04.2016 का दंड का आदेश (अनुलग्नक 6) पारित किया गया है।

7. कार्यवाही को परिवर्तित करने के निर्णय और आक्षेपित आदेश के पारित होने के बीच, यह सुझाव देने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्यवाही की गई थी। हालांकि बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (ख) के तहत पारित किया गया आदेश दिनांकित 08.04.2016 (अनुलग्नक 6) का याचिकाकर्ता को गैर-संचयी प्रभाव के साथ दो वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने और याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ते को छोड़कर अन्य सभी बकाया से वंचित करने के परिणाम के साथ दंडित करने का इरादा रखता है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि आदेश टिकाऊ नहीं है। कार्यवाही को बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (ख) में परिवर्तित किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को उस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कोई अवसर नहीं दिया गया, जिसके आधार पर आक्षेपित सजा दी गई है।

9. वह आगे दलील देते है कि आक्षेपित आदेश द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले दंड की प्रकृति टिकाऊ नहीं है। लगाया जाने वाला दंड तब लगाया जा सकता था, जब याचिकाकर्ता अभी भी सेवा में था और जब बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (संक्षेप में "बिहार (सीसीए) नियमावली, 2005") के प्रावधान उस पर लागू थे। सेवानिवृत्ति के बाद, एकमात्र प्रावधान जो प्राधिकरण को याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी पेंशन के आंशिक या पूर्ण रूप से रोकने के सीमित दायरे के लिए कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है, वह बिहार पेंशन नियमावली, 1950 का नियम 43(ख) है। अधिकारियों ने इस तथ्य से अवगत होकर, 12.02.2015 (अनुलग्नक 5) को कार्यवाही को नियम 43(ख) बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के तहत परिवर्तित कर दिया था। हालाँकि, दिनांक 08.04.2016 के आदेश (अनुलग्नक 6) द्वारा दंड दिया गया है जो बिहार पेंशन नियम, 1950 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और साथ ही याचिकाकर्ता पर सेवानिवृत्ति के बाद दंड नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि बिहार (सीसीए) नियम, 2005 लागू नहीं होता।

10. इस तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता ने दो फैसलों पर भरोसा किया है-एक ***शंभू सरन बनाम बिहार राज्य 2000 (1) पी.एल.जे.आर. 665 (एफ.बी.)*** में प्रतिवेदित और ***रिज़वान अहमद बनाम बिहार राज्य 2017 (3) पी.एल.जे.आर. 76*** में प्रतिवेदित पर भरोसा किया।

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि जांच प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी, और याचिकाकर्ता ने उन राशियों को जमा कर दिया था जिन्हें जांच अधिकारी ने गबन पाया था। इन कारकों को ध्यान में रखने के बाद अधिकारियों ने संचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने और निलंबन अवधि के दौरान निर्वाह भत्ते के अलावा किसी भी राशि का भुगतान नहीं करने के लिए एक निश्चित निर्णय लिया।

12. सभी प्रासंगिक पहलुओं को देखने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि जवाबी हलफनामे में इस बात का कोई दावा नहीं है कि बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (ख) के तहत कार्यवाही में परिवर्तित होने के बाद कोई कार्यवाही की गई थी। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दो वार्षिक वेतनवृद्धि को रोकने की सजा बिहार (सी.सी.ए.) नियम, 2005 के तहत निर्धारित दंड है।

13. ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय पाता है कि दिनांकित 08.06.2014 (अनुलग्नक 6) दंड का आदेश टिकाऊ नहीं है। संचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकना बिहार (सी.सी.ए.) नियम, 2005 के नियम 14 में निर्दिष्ट जुर्माना है। उक्त नियमों की प्रयोज्यता नियम के केवल अवलोकन से ही स्पष्ट है। नियम 2, यह स्पष्ट करता है कि यह राज्य के सिविल सेवाओं के सभी वर्गों और बिहार राज्य के तहत अन्य सभी समान संवर्ग या अतिरिक्त संवर्ग के मौजूदा पदों को संचालित करने के लिए है। नियम की सामग्री और इरादा स्पष्ट है कि यह सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है।

14. सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने और सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी नहीं रहा, क्योंकि मालिक-सेवक संबंध टूट गए थे। इसलिए, नियम याचिकाकर्ता पर लागू नहीं रहे, और इस प्रकार, नियम के तहत निर्धारित सजा टिकाऊ नहीं है।

15. याचिकाकर्ता पर लगाए जाने की मांग की गई दो वार्षिक वेतनवृद्धि को रोकने की सजा बिहार (सी.सी.ए.) नियम, 2005 के नियम 14 में निर्दिष्ट दंड है। नियम 14 इस प्रकार शुरू होता हैः

> ***"14.छोटे और बड़े दंड*** *-किसी सरकारी कर्मचारी पर, अच्छे और पर्याप्त कारणों से और इसके बाद दिए गए प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित दंड लगाए जा सकते हैं, अर्थात्ः-....."*

16. प्रावधान का सरल अध्ययन दंडात्मक खंड के दायरे और प्रयोज्यता को स्पष्ट करता है। नियम 14 में निर्दिष्ट दंड, जैसा कि ऊपर निकाले गए नियम से स्पष्ट है, केवल "सरकारी कर्मचारी" पर लगाया जा सकता है।

17. याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सरकारी कर्मचारी नहीं रहा। इसके बाद अधिकारियों द्वारा कोई भी दंड नहीं लगाया जा सकता था, विशेष रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने का दंड तो बिल्कुल नहीं। चूंकि नियम 14 याचिकाकर्ता पर लागू नहीं था, इसलिए वेतन वृद्धि रोकने का दंड और परिणामस्वरूप होने वाली हानि पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

18. उपलब्ध एकमात्र प्रक्रिया बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (ख) के तहत थी, जिसमें एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पेंशन लाभों के संदर्भ में दंडात्मक आदेश पारित करने का सीमित दायरा है, जो याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के ***शंभू सरन*** (उपरोक्त) मामले में निर्णय के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में भी है।

19. तत्काल मामले में बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (ख) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है और बिहार पेंशन नियम, 1950 के तहत कोई

सजा नहीं दी गई है। इसलिए, दिनांकित 08.04.2016 (अनुलग्नक 6) आदेश टिकाऊ नहीं पाया गया है, और इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है।

20. याचिकाकर्ता अपने पेंशन संबंधी लाभों के पुनरीक्षण और बकाया राशि के भुगतान के कारण सभी आनुषंगिक लाभों का हकदार है, जिसे प्राधिकारी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन (3) महीने की अवधि के भीतर गणना करके भुगतान करंट के लिए बाध्य है, जिसमे गणना का विवरण दर्शाने वाले चार्ट भी शामिल होगा।

21. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

उत्तम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।